

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जनवरी 2022—पौष 24, शक 1943

अध्यात्म विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2022

क्र. एफ 7-37-2001-अड्सठ.—भोपाल स्टेट सलकनपुर टेम्पल एक्ट, 1956 (क्रमांक 13 सन् 1956) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से सीहोर जिले के सलकनपुर मंदिर समिति में निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है:—

- (1) श्री रामगोपाल टेलर, निवासी—तहसील रेहटी, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश.
- (2) श्री अरबिन्द दुबे, निवासी ग्राम पांगरा, तहसील रेहटी, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश.
- (3) श्री रिखीराम यादव, निवासी ग्राम रतनपुर, तहसील रेहटी, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार मुण्डा, अवर सचिव.